बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या–3 / विविध–01–39 / 2025– / स्वा0, पटना, दिनांक :

डा0 विकास कुमार एवं डा0 दर्शिका राज, चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना (वाह्य सेवा के रूप मे पदस्थापित) तथा डा0 ज्ञान शकर भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय संकल्प सं0 643(1) दिनांक 04.09 2023 के आलोक में पी0जी0 स्पॉन्सर्ड डी0एन0बी0(पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा) सीट हेतु सवैतनिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

02. डा0 विकास कुमार एवं डा0 दर्शिका राज को विभागीय अनुमति के आधार पर बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा उक्त पाठयक्रम हेतु सवैतनिक विरमित किया गया।

03. विदित हो कि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना एक स्वायत्त संस्था है, जिसमे वाह्य सेवा के रूप में पदस्थापित चिकित्सको का वेतन भुगतान केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि (60:40 के अनुपात) में किया जाता है । उक्त के आलोक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विरमित चिकित्सकों का वेतन भुगतान AB-PMJAY के राशि से करना वाह्य सेवा के नियमों के विरूद्ध है। फलतः डा0 विकास कुमार एवं डा0 दर्शिका राज का नियमित रूप से वेतन भुगतान नहीं हो सका है।

04. साथ हीं डा0 ज्ञान शकर भारती का वेतन भुगतान हेतु मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग निर्धारित किया गया, परन्तु विभाग में चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित नहीं रहने के कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका है।

05. वर्णित स्थिति में तीनो चिकित्सकों, जो पी0जी0 स्पोर्सड डी0एन0बी पाठयक्रम में अध्ययनरत हैं, उनके वेतन भुगतान हेतु मुख्यालय निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम / पदनाम	विभागीय अनापत्ति	वेतन भुगतान हेतु निर्धारित मुख्यालय
1	2	3	4
1.	डा0 विकास कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	765(3) दिनाक 23.11. 2023	प्रा0स्वा0 केन्द्र, गढ़पुरा, बेगुसराय
2.	डा0 दर्शिका राज, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	17(3) दिनांक 09.01. 2025	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदबतनगर, भोजपुर
3.	डा0 ज्ञान शंकर भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	16(3) दिनांक 09.01. 2025	प्रा0स्वा0 केन्द्र, गोचाधामन, किशनगंज

06. सभी चिकित्सक अध्ययन समाप्ति के उपरान्त अविलम्ब अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–04 में अकित संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

07. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त चिकित्सकों का अध्ययनरत संस्थान से उपस्थिति साक्ष्य प्राप्त कर अध्ययन अवधि का वेतन भुगतान अविलम्ब करना सुनिश्चित करेंगे।

08. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

885(3)
6/10/25

ज्ञापांकः 885(3) /स्वा०, पटना, दिनांक 6/10/26

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अपर निदेशक/संबंधित वरीय चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः विभागीय प्रशाखा–2, 7, 9, 12, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः श्री अमित कुमार, डाटा ऐनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी